'लेडीज़ स्पेशल' पर सवार

श्रेया भट्टाचार्य

इस वर्ष की शुरूआत में राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी के दौरान *महिला एवं बाल विकास मंत्रालय* ने घोषणा की कि दिल्ली की जनता को महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए जागृति कार्यक्रम व कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। विभाग इसकी शुरूआत दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी), दिल्ली पुलिस, शिक्षा विभाग व बाज़ार संगठनों से करेगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कार्यकारी समिति का गठन भी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री, किरण वालिया कहती हैं, *हमारा मकसद लोगों को महिला सुरक्षा के प्रति चेतन तथा अपने शहर पर गौरवान्वित करना है।*

दिल्ली सरकार की पूरी कोशिश है कि 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों से पहले सार्वजनिक परिवहन ढांचे की कायापलट हो सके तथा 2020 के मास्टर प्लान के अनुसार दिल्ली को 'स्टेट-ऑफ़-द आर्ट' ढांचा प्रदान करने की दिशा में भी प्रगति की जा सके।

पर यह बड़े आश्चर्य की बात है कि महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए सरकार को राष्ट्रमंडल खेलों जैसे कार्यक्रम की ज़रूरत पड़ती है!!

महिलाओं की आवाजाही को सार्वजनिक परिवहन में होने वाली यौन हिंसा व उत्पीड़न चुनौती प्रदान करते हैं। *दिल्ली मानव विकास रिपोर्ट 2006* के अनुसार 90% महिलाएं मानती हैं कि सार्वजनिक परिवहन असुरक्षित है। अंग्रीजा, दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा प्राप्त करने वाली तेईस वर्षीय लड़की है और उसके अनुसार, *शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब बस में सफर करते समय हमें किसी न किसी हिंसा का सामना न करना पड़ता हो!*

अधिकांश जुर्म की रिपोर्ट ये कहानी दोहराती हैं। 2004 में दिल्ली पुलिस के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 45% यौन हिंसा की घटनाएं बसों में तथा 25% सड़क के किनारे घटी थीं। 40% महिलाओं ने कहा कि वे अंधेरा होने पर असुरक्षित महसूस करती हैं, 31% ने दोपहर में भी असुरक्षित महसूस करने की बात की; ये आंकड़े 2005 के राष्ट्रीय अखबार में छपे थे।

दिल्ली की 80% महिलाएं कहती हैं कि वे सार्वजनिक परिवहन के साधनों पर यौन हिंसा का शिकार होती हैं। पितृसत्तात्मक प्रशासन का इस पर जवाब है सार्वजनिक जगहों का लैंगिक विभाजन यानी लेडीज़ स्पेशल बसों का प्रावधान जिनमें पर्दे लगे हों ताकि 'महिलाओं को पुरुषों की नज़र से सुरक्षा' प्रदान की जा सके।

दिल्ली के महिला समूह इस बढ़ती समस्या से बहुत चितिंत हैं। 2007 से *जागोरी* महिला समूह अपने *सुरक्षित दिल्ली अभियान* के तहत सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा के मुद्दे पर कार्यरत है। *जागोरी* सर्वेक्षण के अनुसार पांच सौ महिलाओं में 80% ने बसों व अन्य परिवहन साधनों व 62% ने सड़कों पर यौन उत्पीड़न की गवाही दी।

सार्वजनिक परिवहन में हिंसा अलग-अलग तरीकों से की जाती है। 2007 में लेखिका द्वारा दिल्ली व मुम्बई में किये गये अध्ययन से पता चला कि 90% महिलाओं ने सार्वजनिक यातायात के दौरान भद्दे इशारों/घूरे जाने, 80% ने अश्लीलता से छुए जाने जैसी अनचाही शारीरिक हिंसा झेली है। 54% ने यौन छेड़छाड़, जुमले, मज़ाक सहने, तथा 52% ने पीछा किये जाने की बात की। इन हिंसाओं का स्वरूप यौनिक था- औरतों की छाती को घूरना, गंदे इशारे, अश्लील जुमलों के अलावा पुरुषों का चिपकना, यौन अंगों को रगड़ना, टटोलना भी इसमें शामिल था।

इस अध्ययन के दौरान 82% महिलाओं ने बताया कि उन्हें रात के समय सार्वजनिक परिवहन में डर लगता है जबकि केवल 22% पुरुषों ने ऐसा कहा। इस बात की पुष्टि अक्तूबर 2008 में *ऐसोचैम शोध* ने भी की जिसके अनुसार हर दूसरी कामकाजी महिला असुरक्षित महसूस करती है, विशेषकर बीपीओ/आईटी/मेज़बानी सेवा, नागरिक विमानन, नर्सिंग होम व कपड़ा उद्योगों जैसे आर्थिक गहमागहमी वाले स्थलों पर भी औरतें असुरक्षित महसूस करती हैं।

समस्या और भी गंभीर दिखाई पड़ती है जब हम हाल में ही सौम्या विश्वनाथन व जिगिषा घोष की हत्या के बाद जारी मुख्यमंत्री के बयान को सुनते हैं जिसमें उन्होंने कहा- *औरतों को ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहिए और देर रात सफर करने से बचना चाहिए।* इसके अतिरिक्त बलात्कार, मुंह पर तेज़ाब फेंकने जैसी वारदातें भी सामने हैं। अखबार व मीडिया में बलात्कार, यौन हिंसा व उत्पीड़न की खबरें लगातार छपती रहती हैं जिनमें अधिकतम बार औरतों को दोषी ठहराया जाता है और खबर को सनसनीख़ेज तरीकों से पेश किया जाता है जिनसे डर के माहौल मे बढ़ोत्तरी होती है।

अक्तूबर 2007 को भाईदूज के दिन दिल्ली मुख्यमंत्री, शीला दीक्षित ने घोषणा की, कि भाइयों से मिलने जा रही लड़कियों व औरतों को उस दिन बस का किराया नहीं देना होगा। राज्य ने ऐसे करके पिता व भाई की सुरक्षात्मक भूमिका अपनाई जिसका संदेश था कि औरतें हमेशा कमज़ोर रहेंगी। राज्य औरतों को नियमित रूप से यह हिदायत भी देता रहता है कि उन्हें हिंसा से बचाव के लिए तैयार रहना चाहिए जिससे सुरक्षा व बचाव का ज़िम्मा औरतों पर बोझ बना रहता है।

राज्य व सामाजिक ढांचों का घटनाओं के प्रति असंवेदनशील रवैया- जिसमें औरतों को हिंसा उकसाने का दोषी ठहराया जाता है, के कारण औरत उत्पीड़न सहकर खामोश रहती हैं। भीड़ वाली बस में सवार लगभग सभी औरतों के साथ हिंसा होती है। इस भीड़ वाले हालात में यह बताना मुश्किल होता है कि उनके साथ किसने छेड़छाड़ व बदसलूकी की थी।

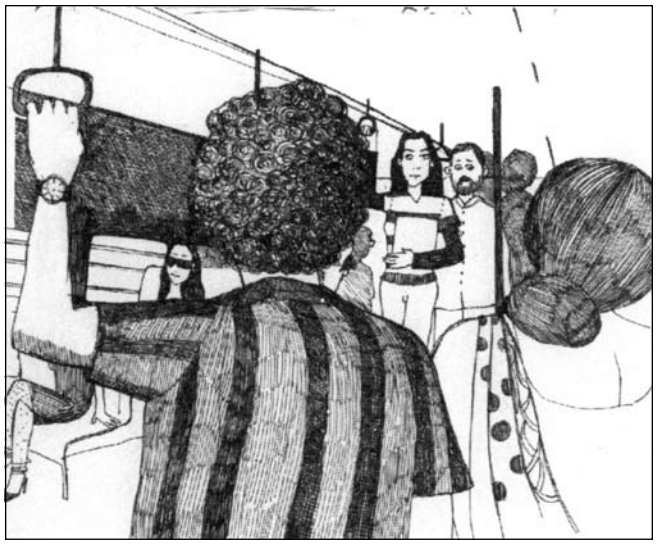

चित्र: प्रिया कुरियन

चुनौती यह है कि हिंसा व ज़बरदस्ती के इन रूपों को यौन हिंसा की तरह परिभाषित किया जाए न कि सिर्फ़ छेड़छाड़ कहकर मामूली करार दे दिया जाए। इसके साथ-साथ महिला हिंसा की पारंपरिक परिभाषा को विस्तृत बनाकर इसमें शारीरिक व यौनिक आक्रामकता के अलावा, मानसिक व भावनात्मक हिंसा के सहज रूपों को भी जोड़ा जाना चाहिए।

महिला कार्यकर्त्ताओं का कहना है- हालांकि औरतों के लिए विशेष लेडीज़ स्पेशल बसें समस्या का हल नहीं हो सकता, परन्तु ऐसे हालात में जहां औरतों को बसों में हिंसा व उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, ये प्रभावी रणनीति हो सकती है। पर हमें बहु-आयामी रणनीतियां भी ईजाद करनी होंगी क्योंकि इस समस्या के अनेक पहलू हैं। हमें राज्य तथा उसके संस्थानों व सार्वजनिक स्थलों को सबके लिए सुरक्षित और सुगम बनाना होगा।

अपने अध्ययन के दौरान लेखिका ने पाया कि किसी भी महिला ने कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की थी। यानी महिलाओं के वास्तविक अनुभवों तथा दर्ज किए गये जुर्मों के बीच काफी फ़र्क़ था। जुर्म के आंकड़े केवल उन घटनाओं का प्रतिबिम्ब हैं जिनकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है। लिहाज़ा सार्वजनिक परिवहन पर सफर करते समय होने वाली हिंसा के अनुभव कभी भी जुर्म के आंकड़ों के बीच जगह नहीं पाते जबकि इनकी गंभीरता और प्रचलन बेहिसाब है।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि जगहों का 'सिर्फ़ महिलाओं के लिए' निर्धारण जैसे कदम पहले से ही मौजूद जगहों व स्थलों के लैंगिकरण को और अधिक स्थाई बनाते हैं। इन प्रयासों का समानता और समान अधिकारों के संदर्भ में स्पष्ट अर्थ होता है- औरतों का समान अवसर पाने से वंचन तथा स्त्री बनाम पुरुष विभाजनों की अधिक मज़बूती। हम ये कार्यान्वयन लेडीज़ स्पेशल बसों के संदर्भ में दिल्ली शहर में देखते हैं जहां सरकार ने पर्दे लगी बसें शुरू की हैं जिसके द्वारा राज्य का स्पष्ट संदेश है- "औरतों को पुरुषों की नज़र से सुरक्षित रखा जाना चाहिए।"

2005 में दिल्ली सरकार ने एक सार-संग्रह जारी किया था, *दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षित बनाना: यौन उत्पीड़न से मुकाबला व आत्म-विश्वास बढ़ाना।* इस सार संग्रह में महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ते अपराधों को चुनौती देने वाली सरकारी अगुवाइयों की बात की गई है। सरकार ने यहां इस बात को स्वीकारा है कि दिल्ली औरतों के लिए सुरक्षित शहर नहीं है और यहां काफी सुधार लाने की ज़रूरत है।

इस सार-संग्रह के परिवहन विभाग खण्ड में महिलाओं के लिए सेवाओं की बात की गई है। इसमें दर्ज है कि डीटीसी बसों में आठ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और अलग-अलग रूट पर महिला होम गार्ड नियुक्त की गई हैं। तेईस लेडीज़ स्पेशल बसें शुरू करने का भी प्रावधान है। किसी घटना की रिपोर्ट होने पर बस को नज़दीक के पुलिस थाने या पुलिस वैन तक ले जाना आवश्यक होगा। इस तरह की घटनाओं के दर्ज कराने का दायित्व बस स्टाफ़ का होगा। बसों के अंदर व बाहरी हिस्सों पर महिला हैल्पलाईन नम्बर लिखे जाएंगे। होली व अन्य त्योहारों के मौकों पर बसों की विशेष जांच-पड़ताल की जाएगी।

सार-संग्रह में यह भी उल्लेख किया गया है कि ऑटो व टैक्सी चालकों का महिला सुरक्षा के मुद्दों पर प्रशिक्षण किया जायेगा। डायरेक्टरेट जनरल होमगार्ड विभाग के तहत विचाराधीन एक प्रस्ताव की भी इसमें बात की गई है जिसके अनुसार दस हज़ार होमगार्डों की नियुक्ति की जाएगी जो डीटीसी बसों में औरतों के साथ होने वाली छेड़छाड़ व यौन हिंसा से सुरक्षा प्रदान करेंगे।

ये प्रावधान अभी लागू नहीं किये गये हैं। बसों में महिला हैल्पलाईन नम्बर लिखे गये हैं परन्तु वे काम नहीं करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की एक गैर-सरकारी संगठन ने महिला टैक्सी चालकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया है। पर इन सेवाओं का फायदा एक विशेष वर्ग की औरतें ही उठा पाएंगी जो आर्थिक रूप से अधिक सक्षम हैं।

जागोरी का *सुरक्षित दिल्ली अभियान* आम नागरिकों को परिवर्तन के लिए एकजुट करने तथा औरतों के लिए सार्वजनिक स्थलों व परिवहन साधनों को सुरक्षित बनाने के इरादे से शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत, डीटीसी के लिए प्रशिक्षण सत्र एक डीटीसी बस के अंदर चलाये गये। इस प्रक्रिया का मकसद बस चालकों व कंडक्टरों को महिलाओं के अनुभवों को महसूस तथा बस के अंदर के माहौल से परिचित करवाना था। इसी अभियान में ऑटो चालकों को भी जोड़ा गया है और विज्ञापन अभियान चलाये गये हैं।

परन्तु ये अभियान एक सीमा तक ही सफल रहे हैं। आज हमें ज़रूरत है शहरी परिवहन व विकास नीति बनाने में औरतों को शामिल करने की। परिवहन योजना, बस के रूट, संख्या, निरंतर उपलब्धता बस-स्टॉप व बसों के डिज़ाइन बनाने में भी लैंगिक संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। वास्तव में जन-भागीदारी विशेषतः महिलाओं की खास भागीदारी प्रोत्साहित करने के लिए प्रजातंत्रीय प्रक्रियाओं को विकसित करने की विशेष ज़रूरत है।